न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद सं0–103/18–19

चन्द्रदेव साव बनाम मोहन साव, रोहित कुमार वगै0

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
09/02/23	अंचल अधिकारी, हंटरगंज का पत्रांक–617, दिनांक–20.08.2018 द्वारा प्राप्त है। तदनुसार यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में लिखित बहस समर्पित किया गया। **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–**" यह कि ग्राम–गोसाईडीह, खाता संख्या–51, प्लॉट संख्या–04, रकवा–2.57 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में हरसहाय साह एवं हरि साह, पिता–बंधु साह ब हिस्सा बराबर दर्ज है। दोनों सर्वे रैयत अपने जीवन काल में दखल–कार रहे है। जमीन्दार को लगान देकर जमीन्दारी रसीद प्राप्त करते रहे है। यह है कि बंध साह अपने दो पुत्र हरि साह एवं हरसहाय को छोड़कर मृत हुए है। यह है कि प्रथम पक्ष हरि साह के वंशज है तथा विपक्षीगण के सदस्य हरसहाय के वंशज है। यह है कि हरि साह अपने एक मात्र पुत्र पचु साह को संयुक्त रूप से छोड़कर मृत हो गये। पंचु साव भी अपने तीन पुत्र गंदौरी साव, चन्द्रदेव साव एवं सुरेश साव को छोड़कर मृत हुए। यह है कि गंदौरी साव अपने एक मात्र पुत्र योगेन्द्र कुमार को छोड़कर मृत हुए। इस प्रकार चन्द्रदेव साव, सुरेश साव एवं योगेन्द्र कुमार जो प्रथम पक्ष के सदस्य है, खाता संख्या–51, प्लॉट संख्या–4 रकवा–1.28½ प्रश्नगत भूमि का आधा हिस्सा भूमि पर दखलकार है, तथा कृषि कार्य कर के शांतिपूर्वक फसल का उपयोग कर रहे है। यह है कि हरसहाय साह, अपने चार पुत्र दशरथ साव, रामलाल साव, श्याम साव एवं मुखु साव को वैध वंशज के रूप छोड़कर मृत हुए। दशरथ साव संयुक्त रूप से तीन पुत्र जागो साह, दुखु साह, सुरज साह को छोड़कर मृत हुए। जागो साह अपने तीन पुत्र मोहन साह, देवराज साह एवं विषय साह को छोड़कर मृत हुए। यह है कि दुखु साह भी अपने चार पुत्र लखन साह, किशोरी साह, विजय साह, दुर्योधन	

1 Misc

साह। विस्तृत वंशावली अभिलेख में संलग्न है। यह है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष का आधा हिस्सा का भूमि 1.28½ एकड़ भूमि का भी फर्जी कागजात के आधार जमाबंदी कायम करवा लिया गया है। अंचल अधिकारी के द्वारा भी म्यूटेशन हेतु किसी भी प्रक्रिया का अपनाया नहीं गया है। प्रथम पक्ष के पूर्वज हरि साह कभी भी कोई डीड या एग्रीमेंट हरसहाय साह के पक्ष में निर्गत नहीं किया गया है। विपक्षी के द्वारा जिस कागजात के आधार पर दावा कर रहे है, फर्जी है क्योंकि उस कागजात पर कोई स्टाम्प, मोहर हस्ताक्षर आदि कुछ नहीं है। यह कागज पुर तरह से बनावटी है। यह है कि प्रथम पक्ष प्रश्नगत भूमि के आधार हिस्सा 1.28½ एकड़ भूमि पर दावा बनता है, इस भूमि पर अपने पूर्वज के समय से दखलकार है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने सिर्फ हर सहाय के नाम से चल रहे जमाबंदी को रद्द करने तथा खतियान के अनुसार आधा हिस्सा के अनुसार प्रथम पक्ष का 1.28½ एकड़ भूमि का जमाबंदी कायम करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–" यह है कि इस विविध वाद भवदीय न्यायालय के द्वारा विपक्षी को मौजा–गोसाईडीह, थाना नं0–53 खाता संख्या–51, प्लॉट संख्या–04 रकवा–2.57 एकड़ भूमि से संबंधित कागजात के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। नोटिस के अनुपालन हेतु द्वितीय पक्ष उपस्थित हुए है। यह है कि रामेश्वर साव, पिता–स्व0 मुखु साव दिनांक–09.12.2021 को मृत हो गए है। उनके वंशजों को पक्षकार बनाने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। यह स्वीकार किया जाता है कि दोनों पक्ष अपने गोतिया है। यह है कि प्लॉट संख्या–4, खाता संख्या–51 के अंतर्गत नहीं आता है। खाता सख्या–51 का प्लॉट संख्या–51, 54, 216, 281, 282, 285, 51/495 है। यह स्वीकार किया जाता है कि खाता संख्या–51 मौजा–गोसाईडीह सर्वे खतियान में हरसहाय साव एवं हरि साव दोनो के पिता–बंधु साव के नाम से दर्ज है। दोनो के द्वारा अपने जीवन काल में भूमि पर कृषि कार्य किया करते थे जमीन्दार को लगान देकर जमीन्दारी रसीद भी प्राप्त किए थें। यह है कि प्रथम पक्ष हरि साव के वंशज है तथा द्वितीय पक्ष हरि सहाय साहु के वंशज है। यह है कि हरि साहय साहु एवं हरि साव के बीच लिखित बंटवारा हुआ था। हरि साव कर्ज में थे इसलिए हरि सहाय साहु को मौखिक रूप से अपना हिस्सा दे दिए थे। उस समय से हरि सहाय साहु सम्पूर्ण भूमि पर दखलकार होकर सरकार को लगान देकर रसीद प्राप्त करते रहते रहे थे। पंजी–2 में भी हरि सहाय साहु का नाम दर्ज है। यह है

कि वर्तमान में भी रकवा–2.18$\frac{1}{2}$डी0 भूमि का रसीद हरि सहाय साहु के नाम से ऑनलाईन रसीद भी निर्गत हो रहा है। यह है कि किसी व्यक्ति के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु यह सक्षम न्यायालय नहीं है। यह है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा सम्पूर्ण भूमि पर कृषि कार्य करते रहे है।" द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विपक्षी का कायम जमाबंदी को जारी रखने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, हंटरगंज ने अपने आदेश फलक में यह उल्लेखित किया है कि–" ***1. चन्द्रदेव साव,*** पिता–पाचु साव, साकिन–मौजा–गोसाईडीह थाना–हंटरगंज, जिला–चतरा प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन किया पाया गया कि मौजा–गोसाईडीह, थाना नं0–33, थाना–हंटरगंज अंतर्गत खाता संख्या–51 कुल प्लॉट संख्या–04, रकवा–2.57 ए0 सर्वे खतियान के अनुसार हरसहाय साहु वो हरि साहु पिता–बंधु साहु के नाम बाहिस्सा बराबर दर्ज है, परंतु प्रश्नगत भूमि का डिमाण्ड सरसहाय साहु के नाम निर्गत लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। ***2. श्री मोहन साव,*** पिता–स्व0 बालशिुन साव वगै0 मौजा–गोसाईडीह, थाना–हंटरगंज (प्रतिपक्षी) के द्वारा प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन किया प्रस्तुत कागजात सादा बटवारा नामा एवं लगान रसीद प्रस्तुत किया गया हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि बँटवारा नामा में हरसहाय साहु एवं हरि साहु दोनो भाईयों के बीच में चल एवं अचल सम्पति का बटवारा किया गया है। चल एवं अचल सम्पति का बँटवारा नामा में मुल्य निर्धारित कर बँटवारा किया गया है। हरि साहु को मो0 1477.50 (एक हजार चार सौ सहतत्तर रूपये पचास पैसे) महाजन के रूप में हर सहाय को देने हेतु अंकित किया गया है। उक्त महाजन के राशि के बदले हरि साहु के हिस्से की भूमि को हरसहाय साहु के द्वारा कब्जा कर लिया गया। जबकि उक्त बंटवारा नामा में किसी भी पंच का नाम एवं हस्ताक्षर अंकित नही है। और ना ही निबंधित है। जो संदेहात्मक है। उक्त बंटवारा के आधार पर हरसहाय साहु के द्वारा अपने नाम से प्रश्नगत भूमि के कुल रकवा का जमाबंदी कायम कर लिया गया जो संदेहात्मक प्रतीत होता है। **आदेश** प्रस्तुत खतियान में हरसहाय साहु वो हरि साहु पेशरान बधु साह कौम तेली साकिन देह बहिस्से बराबर अंकित है, परंतु हरि साह का हिस्सा सादा बटवारा नामा के आधार पर हरसहाय साहु के वंशजो द्वारा प्रश्नगत भूमि के सम्पूर्ण रकवा का जमाबंदी संदेहात्मक प्रतीत होता है। उक्त भूमि पर खतियान के अनुसार दोनो भाईयों का हिस्सा बराबर

बराबर होता है। फलस्वरूप हरसहाय साहु के नाम से कायम जमाबंदी संदेहात्मक प्रतीत होता है।"

राजस्व कर्मचारी के द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि–"आवेदक चन्द्रदेव साव, पिता–पचु साव, ग्राम–गोसाइडीह द्वारा दिए गए आवेदन पत्र के साथ संलग्न सर्वे खतियान का छायाप्रति, वंशावली एवं सरकारी रसीद के आधार पर जॉच किया गया। जॉचोपरांत पाया कि विवादित जमीन ग्राम–गोसाईडीह थाना संख्या–033 अंतर्गत खाता संख्या–51 कुल प्लॉट सख्या–04, रकवा–2.57 ए0 सर्वे खयितान के अनुसार हरसहाय साहु वगै हरि साव, पिता–बन्धु साह के नाम व हिस्से बराबर दर्ज है। पर उक्त जमीन का डिमाण्ड मात्र एक हरसहाय साहु के नाम दर्ज है। जिसका सरकारी रसीद पंजी 2 के पृष्ट संख्या–51/1 से खाता संख्या–51 रकवा–2.18½ का निर्गत होते आ रहा है। उक्त जमीन पर दोनों खतियानी रैयत के वंशजों का बराबर बराबर का हकदार है। आवेदक कहना है कि डिमाण्ड में एक व्यक्ति का नाम होने के कारण हरसहाय साहु को वंशज हिस्सा नहीं देना चाहता है।"

उपरोक्त संबंधित पक्ष के द्वारा समर्पित लिखित कथन, समर्पित कागजात, अंचल अधिकारी, हंटरगंज से प्राप्त अभिलेख तथा अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होते है :–

1. खतियानी रैयती भूमि का मामला।
2. प्रथम पक्ष के द्वारा खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर दावा।
3. द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष के पूर्वजों से भूमि प्राप्त होने का दावा।
4. उभय पक्षों का एक ही सर्वे खतियानी रैयत के वंशज होने का मामला।

1) <u>खतियानी रैयती भूमि का मामला</u> :– राजस्व कर्मचारी के द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि–"विवादित जमीन ग्राम–गोसाईडीह थाना संख्या–033 अंतर्गत खाता संख्या–51 कुल प्लॉट सख्या–04, रकवा–2.57 ए0 सर्वे खयितान के अनुसार हरसहाय साहु वगै हरि साव, पिता–बन्धु साह के नाम व हिस्से बराबर दर्ज है।"

2) प्रथम पक्ष के द्वारा खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर दावा :–प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–" यह कि ग्राम–गोसाईडीह, खाता संख्या–51, प्लॉट संख्या–04, रकवा–2.57 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में हरसहाय साह एवं हरि साह, पिता–बंधु साह ब हिस्सा बराबर दर्ज है। दोनों सर्वे रैयत अपने जीवन काल में दखल–कार रहे है।यह है कि प्रथम पक्ष हरि साह के वंशज है तथा विपक्षीगण के सदस्य हरसहाय के वंशज है। चन्द्रदेव साव, सुरेश साव एवं योगेन्द्र कुमार जो प्रथम पक्ष के सदस्य है, खाता संख्या–51, प्लॉट संख्या–4 रकवा–1.28½ प्रश्नगत भूमि का आधा हिस्सा भूमि पर दखलकार है, तथा कृषि कार्य कर के शांतिपूर्वक फसल का उपयोग कर रहे है। यह है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष का आधा हिस्सा का भूमि 1.28½ एकड़ भूमि का भी फर्जी कागजात के आधार जमाबंदी कायम करवा लिया गया है। अंचल अधिकारी के द्वारा भी म्यूटेशन हेतु किसी भी प्रक्रिया का अपनाया नहीं गया है।"

3) द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष के पूर्वजों से भूमि प्राप्त होने का दावा :–द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–" यह स्वीकार किया जाता है कि दोनों पक्ष अपने गोतिया है। यह है कि प्लॉट संख्या–4, खाता संख्या–51 के अंतर्गत नहीं आता है। खाता सख्या–51 का प्लॉट संख्या–51, 54, 216, 281, 282, 285, 51/495 है। यह स्वीकार किया जाता है कि खाता संख्या–51 मौजा–गोसाईडीह सर्वे खतियान में हरसहाय साव एवं हरि साव दोनों के पिता–बंधु साव के नाम से दर्ज है। यह है कि प्रथम पक्ष हरि साव के वंशज है तथा द्वितीय पक्ष हरि सहाय साहु के वंशज है। यह है कि हरि साहय साहु एवं हरि साव के बीच लिखित बंटवारा हुआ था। हरि साव कर्ज में थे इसलिए हरि सहाय साहु को मौखिक रूप से अपना हिस्सा दे दिए थे। उस समय से हरि सहाय साहु सम्पूर्ण भूमि पर दखलकार होकर सरकार को लगान देकर रसीद प्राप्त करते रहते रहे थे। पंजी–2 में भी हरि सहाय साहु का नाम दर्ज है। यह है कि वर्तमान में भी रकवा–2.18$\frac{1}{2}$डी0 भूमि का रसीद हरि सहाय साहु के नाम से ऑनलाईन रसीद भी निर्गत हो रहा है।"

4) उभय पक्षों का एक ही सर्वे खतियानी रैयत के वंशज होने का मामला :–द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–" यह स्वीकार किया जाता है कि दोनों पक्ष

अपने गोतिया है। यह है कि प्लॉट संख्या–4, खाता संख्या–51 के अंतर्गत नहीं आता है। खाता सख्या–51 का प्लॉट संख्या–51, 54, 216, 281, 282, 285, 51/495 है। यह स्वीकार किया जाता है कि खाता संख्या–51 मौजा–गोसाईडीह सर्वे खतियान में हरसहाय साव एवं हरि साव दोनों के पिता–बंधु साव के नाम से दर्ज है। यह है कि प्रथम पक्ष हरि साव के वंशज है तथा द्वितीय पक्ष हरि सहाय साहु के वंशज है।"

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में प्रश्नगत भूमि के संबंध में बंटवारा एवं स्वत्व का मामला प्रतीत होता है। खतियान के मुताबिक भूमि का किस्म रैयती है। अतः बंटवारा एवं स्वत्व के मामले को देखते हुए इस न्यायालय से कोई निर्णय देना उचित प्रतीत नहीं होता है। संबंधित पक्ष चाहे तो सक्षम न्यायालय/सिविल कोर्ट की शरण में जा सकते है।

संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश प्रति अंचल अधिकारी, हण्टरगंज को भेंजे।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

09/02/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

09/02/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by SURENDRA ORAON
Date: 2024.07.04 08:22:02 -07:00
Location: 2409:40e4:46:f988:3cdd:4fd4:3279:4ffe